

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette



प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 18 ] दिल्ली, अप्रैल 30—मई 6, 2010, बृहस्पतिवार/वैशाख 10—वैशाख 16, 1932 [ रा.रा.क्षे.दि सं 30, 33 ]  
 No. 18] DELHI, APRIL 30—MAY 6, 2010, THURSDAY/VAISAKHA 10—VAISAKHA 16, 1932 [N.C.T.D. No. 30, 33]

भाग—IV

PART—IV

भाग-I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों की अधिसूचनाएं  
 Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than  
 Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकरण

आदेश

दिल्ली, 27 अप्रैल, 2010

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE  
AUTHORITY

ORDERS

Delhi, the 27th April, 2010

सं. फा. 10(1172)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु/08/550.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री इन्टरनेशनल ऑनकोलोजी सर्विसज प्रा.लि., 206, चौधरी कम्प्लेक्स, 9, वीर सावरकर ब्लॉक, शकारपुर, दिल्ली-110092 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 36,75,200 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 78,68,013 से 82,35,533 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 3676 (रूपए तीन हजार छः सौ छियत्तर) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1172)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/550.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. International Oncology Services Private Limited, 206, Chaudhary Complex, 9, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 3676 (Rs. Three Thousand Six Hundred Seventy Six) only on the aggregate value of shares of Rs. 36,75,200 for equity Share certificates with distinctive Nos. 7868013 to 8235533 to be issued by the said company.

दिल्ली, 29 अप्रैल, 2010

सं. फा. 10 (1177)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/595.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आर.जी फ्रीलान्सर्स प्रा.लि. प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 280001 से 300000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 10,000/- (रुपए दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

Delhi, the 29th April, 2010

F. No. 10(1177)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/595.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s R G Freelancers Private Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 280001 to 300000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1174)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/596.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री आर.जी फ्रीलान्सर्स प्रा. लि. प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 27,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 280000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2700/- (रुपए दो हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1174)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/596.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s R G Freelancers Private Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2700/- (Rs. Two

Thousand Seven Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. (27,00,000 for equity Share certificates with distinctive Nos. 10001 to 280000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1178)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/597.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सौरभ एडवाइजर्स प्रा.लि., प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 1,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 280001 से 300000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 10,000/- (रुपए दस हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1178)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/597.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Saurabh Advisors Private Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,000/- (Rs. Ten Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 1,00,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 280001 to 300000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 (1173)/मु.स.(मुख्या.)/स.शु./08/598.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सौरभ एडवाइजर्स प्रा.लि., प्लॉट नं. 14, ब्लॉक-2, मोहन कोपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली-110044 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 27,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10001 से 280000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 2700/- (रुपए दो हजार सात सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10(1173)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/598.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Saurabh Advisors Private Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative

Limited, Plot No. 14, Block-II, Mohan Co-operative Industrial Estate, New Delhi-110044 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 1,28,400/- (Rs. One Lac Twenty Eight Thousand Four Hundred) only on the aggregate value of shares of Rs. 12,84,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 321001 to 1605000 to be issued by the said company.

सं. फा. 10 ( 1186 )/मु.स.( मुख्या. )/स.शु./08/603.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एथेना डेमवी पावर प्रा. लि., पहली मंजिल, एनबीसीसी टावर, 15, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 द्वारा जारी किए जाने वाले रूपए 65,00,00,000/- मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 191878379 से 256878378 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क रूपए 6,50,000/- (रूपए छः लाख पचास हजार) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य  
राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से,  
विनय कुमार, संयुक्त सचिव (राजस्व)

F. No. 10(1186)/COS(HQ)/Cons. Duty/08/603.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148 (E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s Athena Demwe Power Private Limited, 1st Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 6,50,000/- (Rs. Six Lac Fifty Thousand) only on the aggregate value of shares of Rs. 65,00,00,000/- for equity Share certificates with distinctive Nos. 191878379 to 256878378 to be issued by the said company.

By Order, of Chief Controlling Revenue Authority  
Govt. of National Capital Territory of Delhi,  
VINAY KUMAR, Jt. Secy. (Revenue)